BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 710/2023

IN THE MATTER OF:
SUSHIL RAGHAV

...**APPLICANT**

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

...**RESPONDENT(s)**

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	RESPONSE ON BEHALF OF THE DISTRICT MAGISTRATE, GHAZIABAD, U.P. IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 29.08.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI	
2.	A COPY OF THE LETTER DATED 25.05.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-1**	
3.	A COPY OF THE LETTER DATED 25.05.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-2**	
4.	A COPY OF THE LETTER DATED 05.05.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-3**	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.
bhanwar09jadon@gmail.com | 6375115224

DATE: 26/05/2026
PLACE: NOIDA

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 710/2023

IN THE MATTER OF:
SUSHIL RAGHAV

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

...RESPONDENT(s)

RESPONSE ON BEHALF OF THE DISTRICT MAGISTRATE, GHAZIABAD, U.P. IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 29.08.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

I, RAVINDRA KUMAR MANDER, aged about 36 years, S/o Shri Chandan Lal Meena, currently posted as District Magistrate, Ghaziabad, State of U.P., do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I, the Deponent, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present Affidavit.

NOTARY
Sandeep Sharma
Reg. No. 8146/98
GOVT. OF INDIA

26 MAY 2026

BACKGROUND OF THE MATTER

2. That in the present matter, the Hon'ble Tribunal is examining the grievance of the applicant concerning the encroachment on the park earmarked as Rajendra Nagar Industrial Colony at GT Road Mile 8/7, Sahibabad, Ghaziabad, UP.

3. That the Hon'ble Tribunal vide order dated 29.08.2025 has directed the State of UP to file a further report appropriate steps taken for removing the encroachment. The relevant paragraph of the aforementioned order is as stated below:

   "…3. Learned Counsel appearing for the State of UP has submitted that in terms of Section 26A(4) of the Uttar Pradesh Urban and Planning Development Act, 1973, alternative land or accommodation is required to be provided to the members of the weaker section who have encroached upon the public land before their removal. He seeks time to obtain instructions, if an encroachment which is on the park affecting the environment can be permitted to be continued and if the expeditious action to complete the requisite process and take appropriate steps for removing the encroachment are required

to be taken in accordance with law. Hence, the State of UP is directed to file the further report within six weeks…"

REPLY IS AS FOLLOWS:

4. That the Deponent vide letter dated 25.05.2026 has directed the GDA to ensure that immediate compliance and necessary actions may be taken in compliance of the directions issued by this Hon'ble Tribunal and the Hon'ble High Court. Further, it has been directed that the action taken report be submitted to the Deponent at the earliest.

   A copy of the letter dated 25.05.2026 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-1.**

5. That the GDA vide letter dated 25.05.2026 to the Urban Development department, State of UP and the Deponent has informed that in compliance of the directions issued by the Hon'ble High Court vide order dated 31.07.2025 passed in *Writ Petition No. 22015/2025*, *status quo* is being maintained at the site in question.

   A copy of the letter dated 25.05.2026 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-2.**

6. That furthermore, in compliance of the directions of the Hon'ble High Court and this Tribunal, the Deponent vide order dated 05.05.2026 nominated the ADM (L.A.) from the District Administration as a member of the committee constituted for rehabilitation of 172 residents of Babu Jagjivan Ram Colony, Rajendra Nagar Industrial Area, Sahibabad, Ghaziabad and simultaneously rescinded previous orders relating to the earlier committee constituted under the Chairmanship of the Deponent.

   A copy of the letter dated 05.05.2026 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-3.**

7. That, as per the letter, it is submitted before the Hon'ble Tribunal that the Vice-Chairman, Ghaziabad Development Authority, vide order dated 23.05.2026 has proposed a committee under the chairmanship of the Special Duty Officer-I, GDA. The committee has been entrusted with consideration of issues relating to land identification and construction cost prior to rehabilitation. In compliance of the order dated 31.07.2025 passed by the Hon'ble Allahabad High Court, proceedings regarding formulation and implementation of the

rehabilitation scheme are presently being undertaken by the Authority.

8. Hence, the present affidavit is being filed for the kind consideration and perusal of this Hon'ble Tribunal.

9. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at GHAZIABAD on this 25th day of MAY, 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 9 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY Sandeep Sharma Reg. No. 1186/98 GOVT. OF INDIA

ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1186/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

2 6 MAY 2026

ANNEXURE-1

कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद

पत्र संख्याः–443/D.A./710/2026 दिनांकः– 25.05.2026

उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 710/2023 (I.A. Nos. 36/2025, 300/2025, 428/2025, 478/2024, 479/2024, 480/2024 & 835/2023) में पारित आदेश दिनांक 17.02.2026 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करें। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 710/2023 (I.A. Nos. 36/2025, 300/2025, 428/2025, 478/2024, 479/2024, 480/2024 & 835/2023) में पारित आदेश दिनांक 17.02.2026 में बाबू जगजीवन राम कालोनी, राजेन्द्र नगर औद्योगिक क्षेत्र, साहिबाबाद, गाजियाबाद के 172 निवासियों को पुर्नस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में Rehabitation scheme (पुर्नवाश योजना) से अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अनुपालन आख्या दाखिल की जानी है एवं प्रकरण दिनांक 28.05.2026 को सुनवाई हेतु पुनः सूचीबद्ध है। अग्रेतर बाबू जगजीवन राम कालोनी, राजेन्द्र नगर औद्योगिक क्षेत्र, साहिबाबाद, गाजियाबाद के 172 निवासियों को पुर्नस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की प्रगति आख्या प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध नही करायी गयी है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.02.2026 के अनुपालन में पुर्नस्थापित किये जाने के सम्बन्ध तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये कृत कार्यवाही प्रगति से अधोहस्ताक्षरी को अवंगत कराने का कष्ट करें, जिससे तद्ानुसार अनुपालन आख्या मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष दाखिल की जा सकें। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा किसी भी प्रकार की प्रतिकूल आदेश पारित होने की दशा में प्राधिकरण स्वयं उत्तरदायी होगा।

(रविन्द्र कुमार माँदड़)
जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अपर जिलाधिकारी (नगर)/नोडल एन0जी0टी0, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

ANNEXURE-2

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं0-393/ प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2026 दिनांक-25/05/2026

प्रेषक:

अपर सचिव
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

सेवा में,

उप सचिव
नगर विकास अनुभाग-5,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

विषयः-मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या-710/23, सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक-29.08.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया स्वकीय पत्र सं0-एन0जी0टी0-19(1)/नौ-5-2026-21रिट/2023 दिनांक 09.02.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 710/2023 Sushil Raghav Vs. State of Uttar Pradesh & Ors में पारित आदेश दिनांक 29.08.2025 के अनुपालन में समस्त वांछित कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर नगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम साहिबाबाद, तहसील, गाजियाबाद निजी विकासकर्ता द्वारा विकसित योजना है, जिसका ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाईनेन्स कर्पोरेशन, 02, पार्क व्यू करोल बाग नई दिल्ली-12 द्वारा प्रेसक्राइब्ड अथोरिटी, गाजियाबाद द्वारा दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में 14400 वर्ग गज (12040 वर्ग मी0) का एक पार्क का प्राविधान करते हुए कैन्टीन व वेलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी। पार्क के उत्तर की ओर भूखण्ड सं0-79 व 80 तथा इसके पश्चिम में फैक्ट्री व बंगला दर्शाया गया था। कालान्तर में भूखण्ड सं0-79, 80, फैक्ट्री व बंगला वाले भूखण्ड को ले-आउट के सापेक्ष बदलते हुए पार्क की ओर मुख करते हुए 09 भूखण्डों का सृजन कर लिया गया है। इन 09 फैक्ट्रीयों के मालिकों द्वारा अपनी आवश्यकता अनुसार पार्क की भूमि में अतिक्रमण करते हुए सी०सी० रोड़ का निर्माण कर लिया गया था। इसी स्थल पर लगभग-2864 वर्ग मी० भूमि पर अनाधिकृत रूप से बाबू जगजीवन राम के नाम से सघन आबादी वाली कालोनी बनी हुई है जो स्वीकृत ले-आउट प्लान के अनुसार पार्क की भूमि पर स्थित है।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के वाद सं0-710/2023 में पारित आदेश के क्रम में बाबू जगजीवन राम कालोनी राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र, साहिबाबाद में स्थित पार्क की भूमि पर अनाधिकृत रूप से निर्मित सघन आबादी को ध्वस्त किये जाने के सम्बन्ध में

प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक–16.06.2025 के विरूद्ध बाबू जगजीवन राम कालोनी के निवासियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिका सं0–22015/2025 नरेश कुमार व 18 अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य योजित की गयी।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–31.07.2025 में याचिका सं0–22015/2025 में स्थगन आदेश पारित किये गये हैं जो वर्तमान में भी लागू हैं, जिसके कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः–

11- Section 2 6A of the Act, 1973 deals with the situation of encroachment or obstruction on public land. Proviso to Section 26A (4) of the Act, 1973 provides that any encroachment made on public land by a person belonging to weaker section on or before the date of commencement of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Amendment) Act, 1997 shall not be removed until alternative land or accommodation is offered to rehabilitate him in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed.

12-In view of the above statutory provision, we find that as per the instruction provided by learned counsel for the GDA, it is admitted position that the inhabitants belong to the weaker section and they are residing there for last more than 40 years, much prior to the date of commencement of Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Amendment) Act, 1997. The Act, 1973 itself contemplates that they shall not be removed until alternative land or accommodation is offered to rehabilitate him in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed.

16-In the facts and circumstances of the case, we also find that it is not in dispute that the petitioners have been occupying the place for the last more than 40–50 years. At this stage, we find that some indulgence and reprieve is to be accorded to the inhabitants who belong to the weaker sections of society, and we further direct the authority to ensure the formulation and implementation of a rehabilitation scheme for such persons. On the next date, the scheme shall be provided by the District Administration and the GDA.

17-On the request of Mr. Mishra, learned counsel for respondent no. 2, and the learned Additional Chief Standing Counsel, we adjourn the hearing to facilitate the respondents to place on record the rehabilitation scheme by which they intend to rehabilitate the old Inhabitants.

19- Till the next date of listing, the parties shall maintain status quo, qua the disputed property, as of today. Meanwhile, the petitioners are also restrained from creating any third-party interests or undertaking any development on the disputed property.

उपरोक्त आदेश के प्रस्तर–19 के अनुपालन में प्रश्नगत स्थल पर यथास्थिति बनी हुई है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उक्त रिट याचिका में पारित आदेश के अनुपालन में बाबू जगजीवन राम कालोनी राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र, साहिबाबाद, गाजियाबाद के 172 निवासियों को पुर्नस्थापित किये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 05.05.2026 को जिला प्रशासन से ए0डी0एम0एल0ए0 को समिति हेतु सदस्य नामित किया गया एवं पूर्व समिति सम्बन्धी सभी आदेशों को निरस्त करने के आदेश दिये। तदक्रम में उपाध्यक्ष महोदय, गा0वि0प्रा0 द्वारा

दिनांक 23.05.2026 को नई समिति विशेषकार्याधिकारी, गा0वि0प्रा0–प्रथम की अध्यक्षता में प्रस्तावित की गई, जिसमें पुर्नस्थापन किये जाने से पूर्व भूमि चिन्हांकन एवं निर्माण लागत के सम्बन्ध में विचारणीय बिन्दु सम्मिलित हैं। गठित समिति द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 31.07.2025 के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा पुर्नवास योजना पर कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में उक्त स्थल पर किसी प्रकार का अवैध निर्माण नहीं किया जा रहा है, जिसकी सतत् निगरानी प्रवर्तन जोन–7 द्वारा की जा रही है।

कृपया तद्नुसार अवगत होने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(प्रदीप कुमार सिंह)
अपर सचिव

पृष्ठांकन :– / प्रवर्तन खण्ड जोन–7 / 2026 दिनांक–......................

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को सादर सूचनार्थ।
2. जिलाधिकारी, गाजियाबाद को सादर सूचनार्थ।
3. नगर आयुक्त, गाजियाबाद को सादर सूचनार्थ।
4. प्रभारी विधि, गा0वि0प्रा0 को इस आशय से प्रेषित कि प्राधिकरण अधिवक्ता श्री याज्ञवल्क्य सिंह को मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष प्राधिकरण का पक्ष रखे जाने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करें।

अपर सचिव

ANNEXURE-3

उक्त समिति की बैठक में निम्न बिन्दु विचारणीय हैं :–

1– बाबू जगजीवन राम कालोनी राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र, साहिबाबाद, गाजियाबाद के निवासियों को पुनर्स्थापित किये जाने हेतु भूमि किस प्रकार उपलब्ध करायी जाये।

2– भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त उक्त भूमि पर भवन निर्माण हेतु वित्तीय भार किस विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।

अतः प्रश्नगत प्रकरण में उपरोक्त बिन्दुओं एवं अन्य प्रशासनिक निर्णय लिये जाने के लिए उक्त समिति की बैठक पुनः कराये जाने हेतु तिथि एवं समय निर्धारित करने हेतु पत्रावली अग्रसारित करने का कष्ट करें।

20.03.26
गोपाल कृष्ण शर्मा
अवर अभियन्ता

पीयूष
20/03/26
पीयूष सिंह
सहायक अभियन्ता
जोन-८

हेतु जिलाधिकारी महोदय से तिथि एवं समय निर्धारित कराने हेतु प्रेषित।
23/3/26.

सचिव कार्यालय
पत्रावली प्राप्ति
रजिस्टर सं0 879
दिनांक 01/04/26

28.03.26
विवेक कुमार मिश्र
सचिव

उपाध्यक्ष कार्यालय
पत्रावली प्राप्ति
रजिस्टर क्र0 1561
दिनांक 01/4/26

V.C. Sir

04/04/2026
नन्द किशोर कलाल
उपाध्यक्ष
गा0 वि0 प्रा0, गाजि0

AE प्र0-8

VC / Secy

– चूंकि प्रकरण GDA से सम्बंधित है तथा मा. न्यायालय द्वारा जिला प्रशासन को GDA के साथ मिलकर rehabilitation plan हेतु निर्देशित किया गया है, उचित होगा कि GDA अपने स्तर पर बैठक कर निर्णय ले। जिला प्रशासन से ADM LA को सहयोग हेतु नामित किया जाता है। ...

DM